RERA Number: UPRERAPRJ160133/07/2026
Promoter Id: UPRERAPRM10102
Website: www.up-rera.in
Launch date: 10 Jul 2026

RERA Number: UPRERAPRJ733483/07/2026
Promoter Id: UPRERAPRM10102
Website: www.up-rera.in
Launch date: 10 Jul 2026

Booklet No: 280423

वरुण विहार योजना

विश्वसनीय विकास
सुरक्षित आवास

(कैलाश खण्ड)

बैंक का नाम: HDFC बैंक
खाता संख्या: 99992469525931
IFSC कोड: HDFC0000078
बैंक का पता: 31/31, एम.जी. रोड, हजरतगंज, लखनऊ

(काशी खण्ड)

बैंक का नाम: ICICI बैंक लिमिटेड
खाता संख्या: 628101111900
IFSC कोड: ICIC0006281
बैंक का पता: 28/10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

Booklet No: 280423

Booklet No: 280423

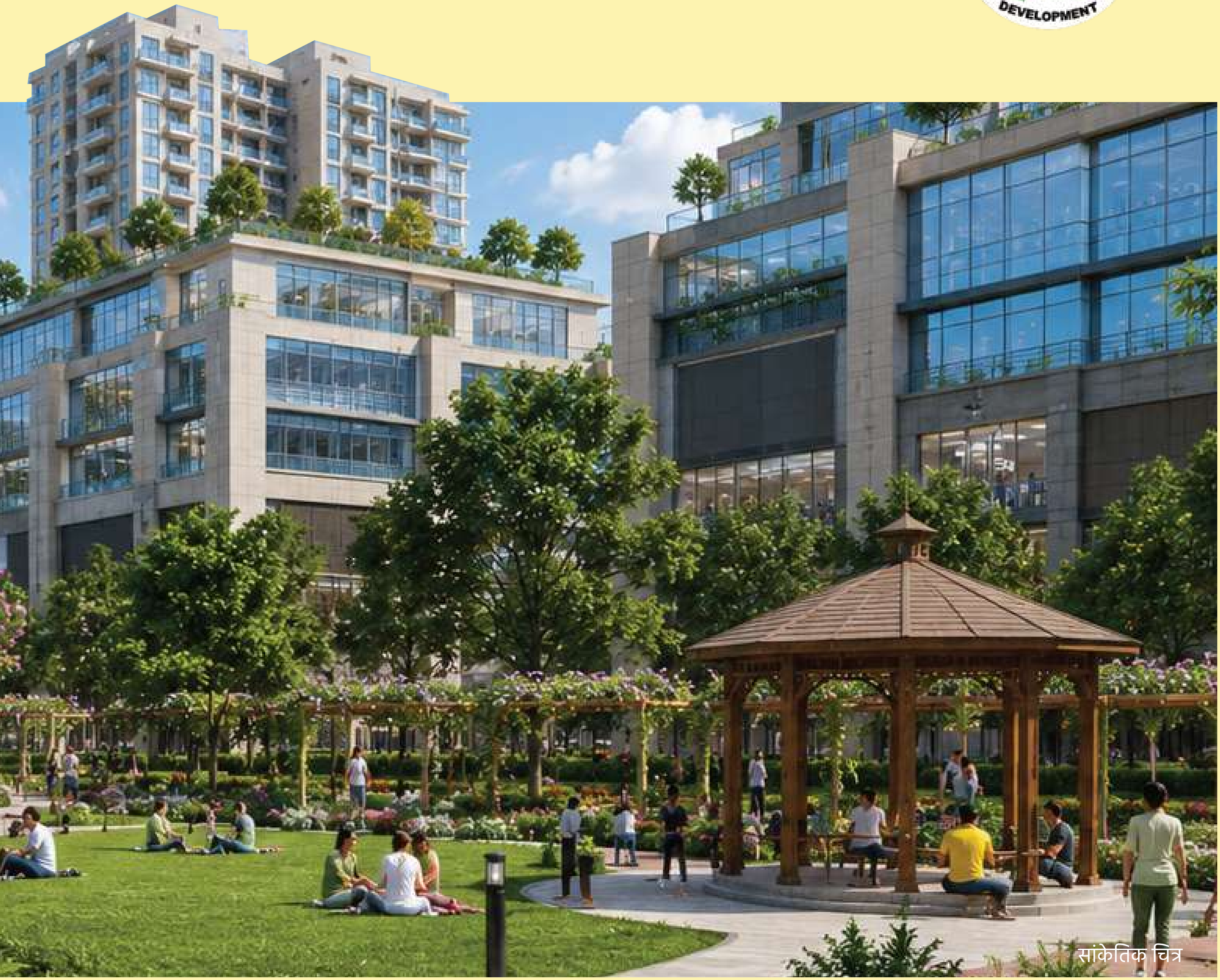

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

वरुण विहार योजना

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित वरुण विहार एक आधुनिक, सुनियोजित एवं उत्कृष्ट आवासीय परियोजना है, जहां सहज जीवनशैली और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित संगम देखने को मिलता है। सुव्यवस्थित खण्डों में विकसित यह महत्त्वाकांक्षी योजना अपने प्रारंभिक चरण में ही एक मजबूत और सुविचारित आधार प्रस्तुत कर रही है।

वरुण विहार की प्रमुख विशेषता इसकी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। यह आगरा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा हुआ है तथा मोहान रोड के माध्यम से शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों तक सहज पहुँच सुनिश्चित करता है। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे इसे कानपुर, पूर्वांचल एवं अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ता है। साथ ही, एयरपोर्ट से बेहतर संपर्क इसे और अधिक सुविधाजनक बनाता है।

यह सुदृढ़ एवं बहुआयामी कनेक्टिविटी न केवल दैनिक जीवन को सरल बनाती है, बल्कि व्यापार, निवेश एवं रोजगार के नए अवसरों को भी प्रोत्साहित करती है।

वरुण विहार - प्राकृतिक परिवेश के साथ, आत्मनिर्भर और सतत विकास की सशक्त पहचान।

Varun Vihar Yojna

Varun Vihar, developed under the Mukhyamantri Shahri Vistarikaran Yojna , is a landmark integrated township envisioned to redefine modern urban living. Thoughtfully planned with a perfect balance of contemporary infrastructure, expansive green spaces and a well-structured urban layout, the township offers an exceptional lifestyle where comfort, convenience and sustainability come together seamlessly. With its meticulously planned sectors, Varun Vihar lays the foundation for a vibrant, future-ready community.

Strategically located, Varun Vihar enjoys outstanding connectivity, making it one of the most promising residential destinations in the region. The township is directly connected to the Agra Expressway and offers seamless access to key parts of the city via Mohan Road . The proposed Link Expressway will further strengthen regional connectivity by linking the township with Kanpur, Purvanchal and other major growth corridors. Excellent accessibility to the airport further enhances its strategic advantage, ensuring effortless travel for residents and businesses alike.

This robust connectivity not only enriches everyday living but also unlocks immense potential for investment, commercial growth and employment, positioning Varun Vihar as a destination of enduring value and opportunity.

Varun Vihar - Where nature, connectivity and visionary planning come together to create a self-sustained, future-ready urban destination.

सूची

Booklet No: 280423

संक्षिप्त विवरण	01-02
मुख्य आकर्षण	03-12
कनेक्टिविटी	13-14
नियम व शर्तें	15-26
शपथ पत्र	27-28

Index

Booklet No: 280423

Brief	01- 02
Main Highlights	03-12
Connectivity	13-14
Terms And Conditions	15- 26
Affidavit form	27- 28

सांकेतिक चित्र

सांकेतिक चित्र

वरुण विहार योजना

कुल क्षेत्रफल - **लगभग 6,580 एकड़**
कुल भूखण्ड - **22,000 भूखण्ड**
योजना के प्रथम चरण में कुल **2,847 भूखण्ड** उपलब्ध
प्लॉट साइज : **112.5 वर्ग मीटर** से **450 वर्ग मीटर** तक

Booklet No: 280423

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

मुख्य आकर्षण

सांकेतिक चित्र

सांकेतिक चित्र

सांकेतिक चित्र

सांकेतिक चित्र

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

800+ एकड़ में ग्रीन बेल्ट, पार्क एवं वॉटर बॉडीज

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

अंतरराष्ट्रीय स्तर का

गोल्फ कोर्स

सांकेतिक चित्र

70 एकड़ की प्राकृतिक झील का संरक्षण

सांकेतिक चित्र

चौड़ी एवं सुव्यवस्थित सड़कें

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

विशाल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब

सांकेतिक चित्र

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

सांकेतिक चित्र

Booklet No: 280423

20+ एकड़ में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब

300 एकड़ में विकसित लॉजिस्टिक पार्क

सांकेतिक चित्र

सांकेतिक चित्र

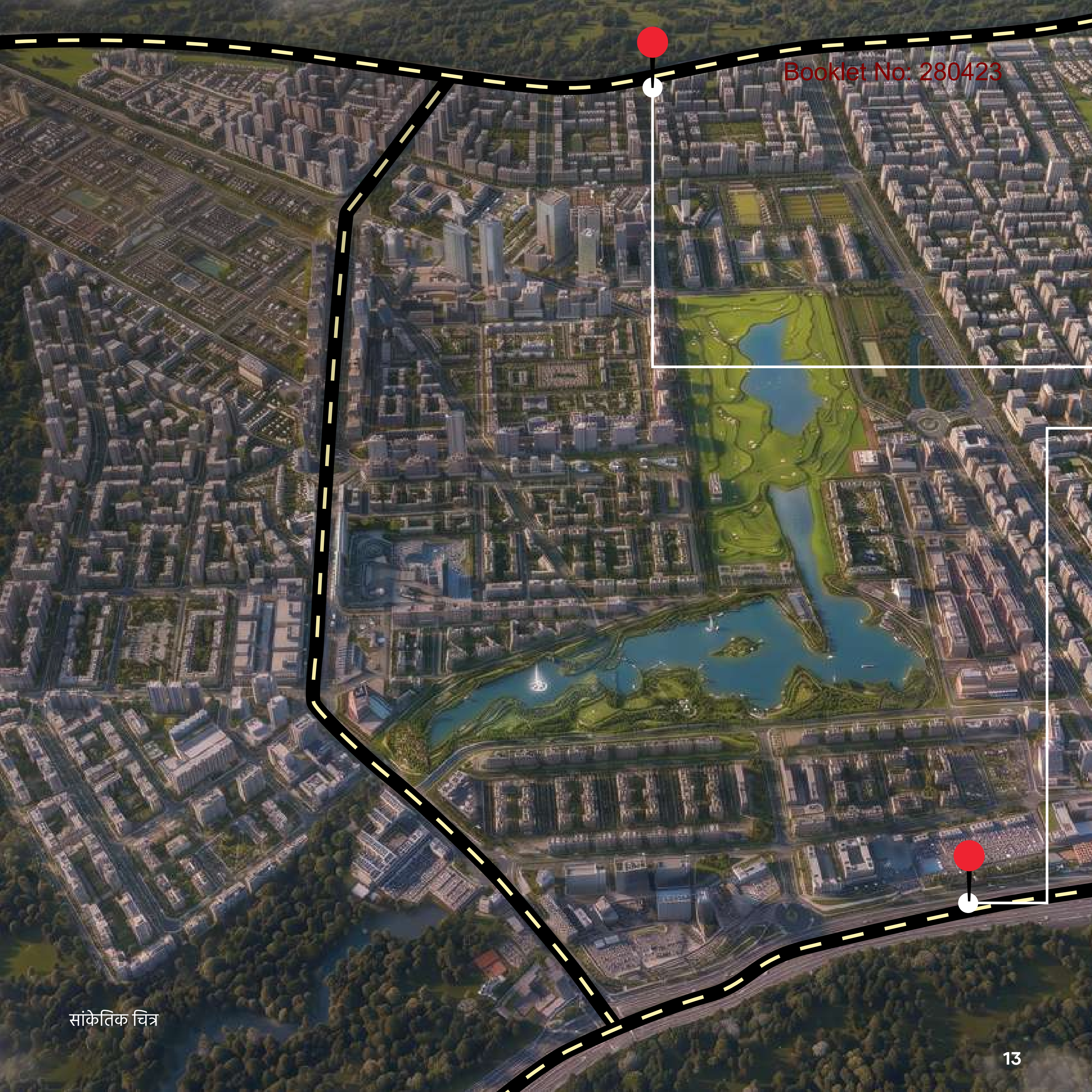

सांकेतिक चित्र

कनेक्टिविटी

आगरा एक्सप्रेस-वे
मोहान रोड

- **11 किमी. की प्रस्तावित एलिवेटेड रोड** से सुगम आवागमन
- **किसान पथ** से आसान कनेक्टिविटी
- **कानपुर रोड** से सीधी पहुंच
- **प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे** से कानपुर, आगरा व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्टेड
- **लखनऊ एयरपोर्ट** से कुछ मिनटों की दूरी

- किसान पथ - **9 मिनट**
- आगरा एक्सप्रेस-वे एंट्री - **15 मिनट**
- बुद्धेश्वर मंदिर - **20 मिनट**
- टी. एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज - **20 मिनट**
- अनंत नगर योजना - **20 मिनट**
- अवध चौराहा - **22 मिनट**
- दुबग्गा - **25 मिनट**
- सेठ ए. आर. जयपुरिया स्कूल, आलमबाग - **25 मिनट**
- यू. पी. सैनिक स्कूल - **27 मिनट**
- CCS एयरपोर्ट - **30 मिनट**
- राष्ट्र प्रेरणा स्थल - **32 मिनट**
- चारबाग रेलवे स्टेशन - **40 मिनट**

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत

वरुण विहार योजना

में भूखण्डों के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका

लखनऊ विकास प्राधिकरण

विकास का आधार, विकास का वास्तुकार

1. योजना का नाम: वरुण विहार योजना
स्थल: निकट आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ

2. पंजीकरण:

2.1 पंजीकरण की अवधि: **24.09.2026** से **24.10.2026** तक

2.2 पंजीकरण हेतु पात्रता:

2.3 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2.4 आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते हैं।

2.5 आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से है) के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

3. योजना में उपलब्ध भूखण्डों की दर एवं पंजीकरण धनराशि:

		काशी खण्ड	कैलाश खंड फेज 1	कैलाश खंड फेज 2		
भूखण्ड की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की कुल संख्या	पंजीकरण (धनराशि ₹ में)
A	112.5	385	759	373	1,517	1,69,470
B	162	124	144	192	460	2,44,040
C	200	157	183	272	612	3,01,280
D	288	0	30	38	68	4,33,850
E	300	0	39	42	81	4,51,920
F	450	42	63	04	109	6,77,880

नोटः योजना में उपलब्ध भूखण्डों की आवंटन दर **₹2,800** प्रति वर्ग फुट है।

Booklet No: 280423

VARUN VIHAR YOJNA

Information Booklet for Registration of Plots

Lucknow Development Authority

1. Name of the Scheme : **Varun Vihar Yojna**
Location : **Near Agra Expressway, Lucknow**

2. Registration :

2.1 Registration Period: From **24.09.2026** to **24.10.2026**

2.2 Eligibility :

2.3 Applicant must be above 18 years of age.

2.4 Applicant must be an Indian citizen. NRIs are also eligible.

2.5 Applicant or any member of his family (family refers to the applicant, their spouse and dependent children) should not have any residential house/plot in Lucknow & not more than one residential house/plot in U.P.,allotted by LDA/UPHB/any other government department.

3. Plot Rates and Registration Charges For Available Plots :

		Kashi Khand	Kailash Khand Phase-1	Kailash Khand Phase-2		
Category Of Plots	Area (sq.mtr.)	No. Of Plots	No. Of Plots	No. Of Plots	Total No. Of Plots	Registration (Amount in ₹)
A	112.5	385	759	373	1,517	1,69,470
B	162	124	144	192	460	2,44,040
C	200	157	183	272	612	3,01,280
D	288	0	30	38	68	4,33,850
E	300	0	39	42	81	4,51,920
F	450	42	63	04	109	6,77,880

Note: The allotment rate of plots available under the scheme is **₹2,800** per sq. ft.

3.1 आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण धनराशि 2.5% होगी।

3.2 भूखण्डों की संख्या अनुमानित है एवं अपरिहार्य कारणों से घट-बढ़ सकती है।

3.3 आवंटन होने के पश्चात सामान्य वर्ग को 5% एवं आरक्षित वर्ग को 2.5% धनराशि आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना होगा।

3.4 योजना के **कैलाश खण्ड** एवं **काशी खण्ड,** दोनों खण्डों में उपलब्ध भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए, लॉटरी एक साथ की जाएगी, अर्थात् पंजीकरण के समय खण्ड का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होगा।

3.5 अवशेष धनराशि आवंटन पत्र में निर्धारित भुगतान प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथि के अनुसार किया जाएगा।

3.6 कॉर्नर सम्पति पर 5%, पार्क फेसिंग में 5% तथा 18 मीटर रोड व उससे अधिक चौड़ी पर 5% अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी आवंटन में तीनों गुण होंगे तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12% अतिरिक्त देय होगा।

4. किस्तों में भुगतान का विकल्प:

आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि 36 मासिक किस्तों में 9.7% ब्याज के साथ जमा करनी होगी तथा विलंब करने की स्थिति में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज अर्थात 11.7% वार्षिक देय होगी।

5. एकमुश्त भुगतान का विकल्प:

5.1 सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत् छूट प्रदान की जाएगी :

1. 45 दिवस में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट
2. 60 दिवस में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट
3. 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट

5.2 आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि जमा की गयी है, उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी। समय से किस्तें जमा न करने पर दण्ड ब्याज 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस्तों की अनुमन्य व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त लिया जाएगा।

5.3 आवंटी द्वारा छूट की धनराशि अपने स्तर से घटाकर जमा नहीं की जाएगी। अंतिम मूल्यांकन के पश्चात अतिरिक्त धनराशि, अन्य देयों में समायोजित की जायेगी तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे आवंटी को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:

यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, नामान्तरित कर दिया जाएगा।

3.1 The registration amount for the reserved category shall be 2.5%.
3.2 The number of plots is tentative and may increase or decrease due to unavoidable circumstances.
3.3 After allotment, the general category applicants shall deposit 5% and the reserved category applicants shall deposit 2.5% of the amount before the date specified in the allotment letter.
3.4 The lottery will be conducted simultaneously, covering the plots available in both **Kailash** and **Kashi Sectors.** That means, there will be no right to choose the sector at the time of registration.
3.5 The remaining amount shall be paid as per the payment procedure and timeline specified in the allotment letter.
3.6 For corner properties, an additional 5% shall be payable, for park-facing properties, an additional 5% shall be payable and for properties located on roads of 18 meters or wider, an additional 5% shall be payable. If any allotment has all three features, then its price shall be 12% higher than the normal price.

4. Option for Payment in Installments :

After allotment, the remaining amount can be paid in 36 monthly installments with an interest rate of 9.7% per annum. In case of delay, an additional 2% penal interest shall be charged, making it 11.7% per annum.

5. Option for One Time Payment :

5.1 After issue of the allotment letter and adjustment of the registration amount, rebate on full payment of the balance amount shall be as follows:-

1. 6% rebate on payment within 45 days
2. 5% rebate on payment within 60 days
3. 4% rebate on payment within 90 days

5.2 If the allottee deposits the full amount on a given date, the rebate applicable for that date shall be allowed. In case the installments are not paid on time, penalty interest at the rate of 2% compound interest shall be charged additionally as per the approved installment schedule.
5.3 The allottee shall not deduct the rebate amount on their own while making the payment. After final assessment, the excess amount, if any, shall be adjusted against other dues and any remaining balance shall be refunded to the allottee without interest.

6. In Case of Death of Allottee/Applicant :

In the event of the death of the allottee or applicant, the registration amount or the allotted plot shall be transferred to the legal heir upon submission of the required documents.

7. आरक्षणः

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत है-

क्र. सं.	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो	05
6	विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7	भूतपूर्व सैनिक	03
8	सामान्य	00

नोटः

दिव्यांगों को शासनादेश संख्या-55/आठ-1-18-185 विविध/2010 **दिनांक 15.05.2018** के अनुसार 5% हॉरिजेन्टल आरक्षण देय होगा तथा शासनादेश संख्या-4985/9-आ-1-99-79 बैठक/99 **दिनांक 17.12.1999** के अनुसार समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा।

7. Reservation :

Reservation shall be applicable to various categories as per the Government Orders of Uttar Pradesh, which are currently as follows :

S.No.	Category	Percentage
1	Scheduled Caste(SC)	21
2	Scheduled Tribe(ST)	02
3	Other Backward Class(OBC)	27
4	MLAs/MPs and Freedom Fighters	05
5	Government employees and employees of security services who have completed 50 years of age.	05
6	Employees of Development Authorities / Uttar Pradesh Housing Development Council,Jal Sansthan, Municipal Corporations and Local Bodies, Housing Bandhu Office, and Town & Country Planning Department	02
7	Ex-Servicemen	03
8	General Category	00

Note :

As per Government Order No. 55/8-1-18-185 (Misc.)/2010 **dated 15.05.2018,** 5% horizontal reservation shall be provided to persons with disabilities. Further, as per Government Order No. 4985/9-A-1-99-79 Meeting/99 **dated 17.12.1999,** a provision of 10% reservation for senior citizens has been made. However, this reservation shall not be in addition to the reservations available under each category.

8. शुल्क/कर आदि की देयता:

8.1 शासन/नगर निगम/जल संस्थान अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा रोपित समस्त शुल्क/करों का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा।

8.2 भूखण्डों का मूल्य व क्षेत्रफल अनुमानित है, जिसमें भूमि दर/क्षेत्रफल में अलग-अलग कारणों से वृद्धि/परिवर्तन/परिवर्धन संभावित है। वास्तविक मूल्य/क्षेत्रफल के अनुसार आवंटी को अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी।

8.3 आवंटन संबंधी अन्य नियम व शर्तें योजना की विवरण पुस्तिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.ldalucknow.in** पर देखे जा सकते हैं।

8.4 योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क **(जी0एस0टी0 सहित)** का भुगतान आवंटी को करना होगा।

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:

लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लॉटरी तिथि से तीन माह में वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि तीन माह से अधिक समय के पश्चात वापस किये जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

10. भूखण्ड के आवंटन का निरस्तीकरण:

10.1 यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं देय जी0एस0टी0 काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

10.2 यदि आवंटी द्वारा 3 किस्तें जमा नहीं की जाएंगी तो उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकार होगा कि भूखण्ड का आवंटन नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए निरस्त कर दें तथा लगातार 6 किस्तों के डिफॉल्ट होने पर बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपरोक्त बिंदु 10.1 के अनुसार कटौती कर बिना ब्याज धनराशि वापस कर दी जाएगी।

11. फ्री-होल्ड शुल्क:

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री होल्ड भूमि के रूप में किया जाएगा। भूमि मूल्य (पार्क, कॉर्नर, 18 मीटर चौड़ी सड़क या अधिक होने पर सम्मिलित करके) का 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित नहीं है।

8. Details of Fees/Charges :

8.1 All fees/charges imposed by the Government/Municipal Corporation/Jal Sansthan or any other authority shall be borne by the allottee.

8.2 The cost and area of the plots are tentative and are subject to increase/change/addition, in the land rate/area is possible due to various reasons. The allottee shall be required to deposit any additional amount as per the actual cost/area.

8.3 Other rules and conditions related to allotment can be seen in the information booklet and on the website of Lucknow Development Authority **(www.ldalucknow.in).**

8.4 After allotment of plots and until the scheme is transferred to the Municipal Corporation, the allottee shall pay maintenance charges **(including GST)** as prescribed by the Authority or the Government of Uttar Pradesh for the maintenance of infrastructure facilities.

9. Cancellation of Registration and Refund of Deposited Amount :

After the lottery, unsuccessful applicants shall not be entitled to any interest if their registration amount is refunded within three months from the date of lottery. If the refund is made after three months, interest at the rate of 4% per annum (simple interest) shall be payable on the deposited registration amount.

10. Allotment Cancellation of Plots :

10.1 If an allottee wishes to cancel the allotted plot and withdraw the amount after allotment, 20% of the registration amount and applicable GST shall be deducted and the remaining amount shall be refunded without interest.

10.2 If the allottee fails to deposit three installments, the Vice Chairman, LDA shall have the authority to cancel the allotment of the plot by issuing a notice in accordance with the rules. Further, if there is a default of six consecutive installments, the allotment shall be cancelled without any prior notice and the amount shall be refunded after deductions as per clause 10.1, without interest.

11. Freehold Charges :

The allotted plot shall be registered as freehold plot by the Authority. A freehold charge at the rate of 12% of the land cost (including park/corner charges and road width of 18 meters or more, if applicable) shall be payable before execution of the sale deed. This charge is not included in the plot cost.

12. तथ्यों का छिपानाः

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवेदक द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लें तथा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, कर सकता है।

13. भूखण्ड का कब्जाः

13.1 आवंटन तिथि के पश्चात, भूखण्ड का मूल्य व अन्य देयों के भुगतान करने के पश्चात निबंधन कराकर आवेदक को भूखण्ड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में दिया जाएगा।

13.2 निबन्धन/अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा।

14. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्रावधानः

आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा।

15. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:

15.1 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनन्तिम है। विकास/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम व शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

15.2 किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

16. भूखण्ड आवंटित होने के उपरांत विवादित होने की दशा में अन्य भूखण्ड नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि, भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से साधारण ब्याज देकर वापस कर दी जाएगी।

12. Concealment of Facts :

If any information provided by the applicant is found to be false or if any material fact has been concealed, the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, shall have the right to cancel the allotment/registration/agreement. The entire registration amount deposited by the applicant shall be forfeited and any other legal action deemed appropriate by the Authority may also be taken.

13. Possession of Plot :

13.1 After the date of allotment, possession of the plot shall be handed over to the applicant within a period of five (5) years, as specified by the RERA, upon payment of the plot price and all other dues and after execution of the registration.

13.2 All expenses related to the execution of the lease deed/agreement shall be borne by the allottee.

14. Provision for Mortgaging the Plot :

With the permission/No Objection Certificate (NOC) of the Lucknow Development Authority, the allottee shall have the right to mortgage the plot for obtaining a loan to deposit the dues payable to the Authority.

15. Other General Terms and Conditions :

15.1 The location, area and cost of the plots are tentative. Final assessment shall be carried out after completion of development/construction work. Other prevailing rules and conditions of the Lucknow Development Authority and any amendments/modifications made by the Authority or the Government from time to time, shall be applicable and binding.

15.2 The jurisdiction for any dispute shall be Lucknow.

16. In case, the allotted plot becomes disputed after allotment, no alternate plot shall be provided. In such a situation, the deposited amount of the applicant shall be refunded along with simple interest at the State Bank of India MCLR rate.

17. आवंटनः

17.1 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी।

17.2 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

17.3 लॉटरी के पश्चात डिजिटली हस्ताक्षरित आवंटन पत्र प्राधिकरण की **वेबसाइट: registration.ldalucknow.in** से डाउनलोड किये जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

17.4 एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन करने पर, आवंटन में वरीयता दी जाएगी।

18. पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रियाः

18.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका **दिनांक 24.09.2026** से **दिनांक 24.10.2026 तक रु-1100/- (जी0एस0टी0 सहित)** का ऑनलाइन भुगतान कर **registration.ldalucknow.in** से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

18.2 आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे। ल0वि0 प्रा0 की वेबसाइट **registration.ldalucknow.in** पर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जाएंगे-

- **आवेदक/आवेदकों की फोटो**
- **आधार कार्ड**
- **पैन कार्ड**
- **स्कैन्ड हस्ताक्षर**
- **आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र**

19. आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण आवेदन में अंकित किया जाए।

19.1 आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से एवं सही भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

19.2 शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रुप से किया जाएगा। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।

19.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में बिंदु 18.2 के अनुसार दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।

20. जब तक प्राधिकरण की ओर से लॉटरी के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, तब तक जमा की गई पंजीकरण धनराशि केवल सिक्योरिटी के तौर पर जमा मानी जाएगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्टेटस आवंटन पत्र जारी किए जाने के उपरांत ही आवंटी के रूप में मान्य होगा।

17. Allotment :

17.1 Allotment of plots shall be carried out through a lottery in the presence of applicants. Information regarding the same shall be published separately in newspapers and on the Authority's website.

17.2 The results of the lottery shall be displayed publicly on the Authority's notice board and on the website of the Lucknow Development Authority.

17.3 After the lottery, the digitally signed allotment letters shall be available for download from the Authority's **website : registration.ldalucknow.in** and there will be no separate physical allotment letter shall be issued.

17.4 Preference will be given in allotment if the one time payment payment option is selected.

18. Registration and Application Process :

18.1 For registration, the information booklet can be downloaded from the **website- registration.ldalucknow.in** between **24.09.2026 to 24.10.2026** by making an online payment of **₹1100/- (including GST).**

18.2 Applications shall be accepted online only. The application form can be filled on the website **registration.ldalucknow.in.** The following documents must be uploaded along with the application form :

- **Photograph of the applicant/applicants**
- **Aadhaar Card**
- **PAN Card**
- **Scanned Signature**
- **Reservation Category Certificate**

19. The bank account details provided in the application must correspond to the same name under which the application is being submitted.

19.1 While applying online, the applicant must fill in their name and address completely/correctly. Incomplete or partially filled application forms shall not be accepted.

19.2 As per Government Orders, registration of plots shall be done jointly in the name of husband and wife. Therefore, married applicants may apply jointly in the application form.

19.3 In case of a joint application, all the documents shall be uploaded in accordance with Clause 18.2.

20. Until the allotment letter is issued by the Authority after the completion of the lottery process, the registration amount deposited shall be deemed to be a security deposit only. The applicant shall acquire the status of an allottee only upon the issuance of the allotment letter by the Authority.

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

Booklet No: 280423

(वरुण विहार योजना)

पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ये मात्र फॉर्म का प्रारूप है।

फार्म संख्या-

1.	योजना का नाम	वरूण विहार	
2.	उपयोजना का नाम		
3.	भुगतान पद्धति	एकमुश्त	किश्तों में
4.	भूखण्ड की श्रेणी	B C D	
5.	आवेदक का नाम		
6.	पिता/पति का नाम		
7.	संयुक्त आवेदक का नाम	(1)	(2)
8.	पिता/पति का नाम		
9.	पत्र व्यवहार का पता		
10.	स्थायी पता		
11.	पिनकोड	वैवाहिक स्थिति	विवाहित ☐ अविवाहित ☐
12.	आयु	जन्मतिथि D D M M Y Y Y Y	लिंग पु. म. अन्य
13.	श्रेणी	General ☐ SC ☐ ST ☐ O.B.C. ☐ Other ☐	
14.	आधार संख्या		पैन नं.
15.	व्यवसाय		वार्षिक आय
16.	पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रुपये		
17.	पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रुपये		
18.	**आवेदक का बैंक खाता विवरण**		
	खाताधारक का नाम		
	बैंक का नाम व शाखा		
	खाता संख्या		
	आई.एफ.एस.सी. कोड		
19.	**आवेदक द्वारा नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं सम्बन्ध**		
	नाम		
	पिता का नाम		
	उम्र		
	नामित उत्तराधिकारी से सम्बन्ध		
20.	आवेदक का मोबाइल नं.	1	2
21.	ई-मेल:		

घोषणा

- "मैं / हम एतद द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ /करते हैं कि मैंने / हमने पंजीकरण संबंधी सभी नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे / हमें मान्य हैं।
- उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी / हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण को पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- यदि मुझे / हमें भूखंड आवंटित नहीं होता है, तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तांतरित कर दी जाए।

स्थान: आवेदक / आवेदकों के हस्ताक्षर: ___________

दिनांक:

Lucknow Development Authority

Authority Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow

Booklet No: 280423

(Varun Vihar Yojna)

Application forms for registration will be filled online only
This is merely a sample format of the form

1.	Name of Scheme	Varun Vihar
2.	Name of Sub-Scheme	
3.	Payment Mode	One-time In Installments
4.	Category of the Plot	
5.	Name of Applicant	
6.	Name of Father/Husband	B C D
7.	Name of Joint Applicant	(1) (2)
8.	Name of Father/Husband	
9.	Postal Address	
10.	Permanent Address	
11.	Pincode	Marital Status Married Unmarried
12.	Age Date of Birth	Gender M F other
13.	Category	
14.	Aadhar No.	PAN No.
15.	Occupation	Annual Income
16.	Registration Amount (in digits) Rupees	
17.	Registration Amount (in words) Rupees	
18.	Details of Applicant's Bank Account	
	Name of Account Holder	
	Name of Bank & Branch	
	Account NO.	
	I.F.S.C Code	
19.	Name and relation of the designated successor by the applicant	
	Name	
	Father's Name	
	Age	
	Relation from the Designated Successor	
20.	Mobile No. of Applicant	2
21.	E-mail	

Announcement

1. I/We hereby declare that I / we have fully read and understood all the registration terms and conditions which are valid to me/ us.
2. All the above information is true in my / our information and no facts have been hidden. If any fact or information is found to be false or incomplete, the authority will have the right to cancel the registration/ allotment.
3. If the plot is not allotted to me / us, the refund amount will be transferred to the bank details mentioned in the application form.

Place:

Signature of Applicant/Applicants: ___________

Date:

Booklet No: 280423

मूल्य :
1100/-(GST सहित)
नॉन रिफंडेबल

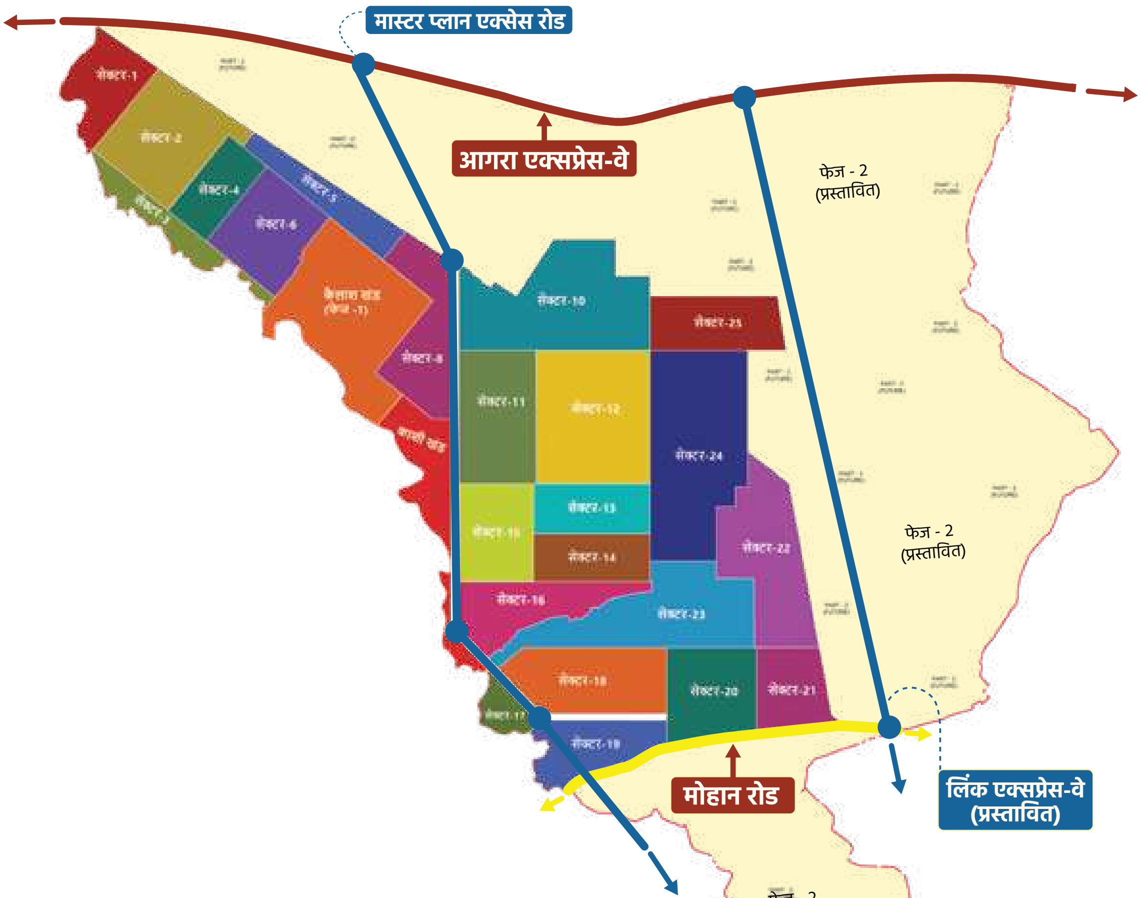

पंजीकरण धनराशि हेतु एवं आवंटन के उपरांत पंजाब नेशनल बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध है.
जानकारी हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें: 8114000926, 8114000927, 8114000928, 8114000929

अधिक जानकारी हेतु:
सपोर्ट ईमेल आईडी: support@sabpaisa.in I व्हाट्सऐप सपोर्ट नंबर: 9873464326 I हेल्पलाइन/संपर्क नंबर: 011-40789203

भुगतान संबंधी सेवा प्रदाता बैंक: HDFC बैंक: 9935499694 | ICICI बैंक: 99199 33115

नोडल अधिकारी
अतुल कृष्ण सिंह
उप सचिव
9918001893

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु संपर्क सूत्र 1800 1800 5000
सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
ई मेल: lottery.support@ldalucknow.in
Website: www.ldalucknow.in

@lda_online
@LkoDevAuthority
@LkoDevAuthority

आवेदन हेतु स्कैन करें

लखनऊ विकास प्राधिकरण
विकास का आधार, विकास का वास्तुकार